बीमा के फरदर फार्म जमा कराने की अन्तिम तिथि 5 अगस्त

झुंझुनू 26 जुलाई : राज्य बीमा एवं प्रावधायी विभाग की उप निदेशक सरिता सैनी ने बताया कि जिन कार्मिकों की बीमा कटौतीया एक अप्रैल 2012 के पश्चात राज्य सरकार द्वारा निधार्रित स्केल से अधिक की गई है इनके फरदर फार्म इस कार्यालय को शिघ्र तैयार कर भिजवाए अन्यथा बढ़ाई हुई कटौतीयों को मान्य नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी आहरण अधिकारी अपने अधिनस्थ समस्त कार्मिकों के फरदर फार्म जिन्होंने कटौतीया स्केल से अधिक की हैं वे उनके फार्म तैयार कर एक साथ इस कार्यालय को आगामी 5 अगस्त से पहले जमा करवाऐं अन्यथा बीमादार की कटौतीया निधार्रित स्केल के अनुसार ही मान्य होगी। जिसकी जिम्मेदारी स्वमं बीमेदारें व आहरण अधिकारियों की होगी। उन्होंने बताया कि फार्म में नाम व पॉलिसी नं. इम्पलाईल आईडी स्पष्ट अंकित करें। अधिक जानकारी के कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता हैं।